परिपत्र एफ. सं. 370133/16/2022-टीपीएल, दिनांक 1-11-2022

वर्तमान में, करदाताओं को व्यक्ति के प्रकार और आय की प्रकृति के आधार पर आईटीआर-1 से आईटीआर-7 तक आयकर रिटर्न प्रस्तुत करना आवश्यक है। वर्तमान आईटीआर निर्दिष्ट फॉर्म के रूप में हैं, जिसमें करदाता को अनिवार्य रूप से सभी अनुसूचियों को पढ़ना होता है, भले ही वह विशेष अनुसूची लागू हो या नहीं। इससे आईटीआर दाखिल करने में लगने वाला समय बढ़ जाता है और परिणामस्वरूप करदाताओं के लिए कई अनावश्यक कठिनाइयांँ उत्पन्न हो सकती हैं।

2. प्रस्तावित आईटीआर मसौदा अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप रिटर्न दाखिल करने की प्रणाली पर पुनर्विचार करता है। इसमें आईटीआर-7 को छोड़कर सभी मौजूदा आयकर रिटर्न को मिलाकर एक सामान्य आईटीआर शुरू करने का प्रस्ताव है। हालाँकि, वर्तमान आईटीआर-1 और आईटीआर-4 जारी रहेंगे। इससे ऐसे करदाताओं को अपनी सुविधानुसार मौजूदा फॉर्म (आईटीआर-1 या आईटीआर-4) या प्रस्तावित सामान्य आईटीआर में विवरणी दाखिल करने का विकल्प मिलेगा।

3. आईटीआर के मसौदे का उद्देश्य विवरणी दाखिल करने में आसानी लाना तथा व्यक्तियों और गैर-व्यावसायिक प्रकार के करदाताओं के लिए आईटीआर दाखिल करने के समय को काफी कम करना है। करदाताओं को उन अनुसूचियों को देखने की आवश्यकता नहीं होगी जो उन पर लागू नहीं होतीं। इसका उद्देश्य बेहतर व्यवस्था, तार्किक प्रवाह और पूर्व-भरण की बढ़ी हुई गुंजाइश के साथ उपयोगकर्ता के अनुकूल तरीके से अनुसूचियों का स्मार्ट डिजाइन करना है। इससे आयकर विभाग के पास उपलब्ध तीसरे पक्ष के आँकड़ों और आईटीआर में रिपोर्ट किए जाने वाले आँकड़ों के बीच उचित मिलान की सुविधा भी मिलेगी, जिससे करदाताओं पर अनुपालन का बोझ कम होगा।

4. प्रस्तावित सामान्य आईटीआर की योजना इस प्रकार है:

(*a*) सभी करदाताओं के लिए मूल जानकारी (जिसमें भाग क से ङ शामिल हैं), कुल आय की गणना के लिए अनुसूची (अनुसूची टीआई), कर की गणना के लिए अनुसूची (अनुसूची टीटीआई), बैंक खातों का विवरण, और कर भुगतान के लिए अनुसूची (अनुसूची टीएक्सपी) लागू है।

(*b*) आईटीआर को करदाताओं के लिए अनुकूलित किया जाता है, जिसमें करदाताओं द्वारा उत्तर दिए गए कुछ प्रश्नों(विज़ार्ड प्रश्न) के आधार पर लागू अनुसूचियाँ होती हैं।

(*c*) प्रश्नों को इस प्रकार और क्रम में तैयार किया गया है कि यदि किसी प्रश्न का उत्तर 'नहीं' है, तो उस प्रश्न से जुड़े अन्य प्रश्न उसे नहीं दिखाए जाएँगे।

(*d*) विवरणी दाखिल करने में सहायता के लिए लागू अनुसूचियों के संबंध में निर्देश शामिल किए गए हैं।

(*e*) प्रस्तावित आईटीआर को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही विशिष्ट मान होगा। इससे विवरणी दाखिल करने की प्रक्रिया सरल हो जाएगी।

(*f*) आईटीआर के लिए उपयोगिता इस प्रकार से शुरू की जाएगी कि अनुसूची के केवल लागू क्षेत्र ही दिखाई देंगे और जहाँ भी आवश्यक होगा, क्षेत्रों का सेट एक से अधिक बार दिखाई देगा। उदाहरण के लिए, एक से अधिक गृह संपत्ति के मामले में, प्रत्येक संपत्ति के लिए अनुसूची एचपी दोहराई जाएगी। इसी प्रकार, जहाँ करदाता को शेयरों की बिक्री से पूँजीगत लाभ होता है, जो केवल धारा 112क के अंतर्गत कर योग्य है, वहाँ 112क से संबंधित अनुसूची सीजी के लागू क्षेत्र उसे दिखाई देंगे।

4.1. जैसा कि ऊपर से स्पष्ट है, करदाता को उन प्रश्नों के उत्तर देने होंगे जो उससे संबंधित हों तथा उन प्रश्नों से जुड़ी अनुसूचियाँ भरनी होंगी, जिनका जवाब 'हाँ' दिया गया है। परिणामस्वरूप, करदाता का समय और ऊर्जा बचेगी और उसे आईटीआर के सभी भागों को पढ़ने के अतिरिक्त बोझ से मुक्ति मिलेगी, जैसा कि मौजूदा आईटीआर के तहत आवश्यक है। इससे अनुपालन में आसानी होगी।

5. उपरोक्त योजना के आधार पर आईटीआर का मसौदा **अनुलग्नक क**संलग्न है। इसके अलावा,**अनुलग्नक ख**में

आईटीआर दाखिल करने के लिए चरण-दर-चरण दृष्टिकोण को दर्शाने वाला एक नमूना आईटीआर और **अनुलग्नक ग** और **अनुलग्नक घ**में क्रमशः व्यवसाय और कंपनी के लिए दो अनुकूलित नमूना आईटीआर भी उदाहरण के लिए संलग्न हैं। अनुलग्नक 'ए' एक समेकित दस्तावेज है जिसमें सभी प्रश्न, अनुसूचियाँ और विस्तृत निर्देश शामिल हैं। यह दोहराया जाता है कि केवल प्रासंगिक प्रश्न/अनुसूचियाँ ही करदाता पर लागू होंगी। एक बार जब सामान्य आईटीआर प्रपत्र अधिसूचित हो जाएगा, तो हितधारकों से प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए आयकर विभाग द्वारा ऑनलाइन उपयोगिता जारी कर दी जाएगी। ऐसी सुविधा में, करदाता को केवल लागू प्रश्नों और अनुसूचियों से युक्त एक अनुकूलित आईटीआर उपलब्ध होगा।

6. मसौदा आईटीआर पर निविष्टियाँ इलेक्ट्रॉनिक रूप से ईमेल आईडी *dirtpl4@nic.in* पर भेजे जा सकते हैं, जिसकी एक प्रति*dirtpl1@nic.in* पर 15 दिसंबर, 2022 तक भेजी जा सकती है।

(प्रज्ञा परमिता)

निदेशक (टीपीएल-IV)

■■